बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक—सं० सं० :– DFP/PMFME-25/2023/.........................पटना, दिनांक—..............................

प्रेषक,

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा:– वित्त विभाग, बिहार, पटना।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 में केन्द्र प्रायोजित ''प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना'' (पी०एम०एफ०एम०ई०) अन्तर्गत राज्यादेश पत्रांक–536 दिनांक–19.03.2026 द्वारा कुल स्वीकृत राशि ₹ 14,99,33,000.00 (चौदह करोड़ निन्यानवें लाख तैंतीस हजार रूपये) में से सामान्य प्रक्षेत्र हेतु सहायक अनुदान–गैर वेतन मद में ₹ 14,98,33,000.00 (चौदह करोड़ अन्ठानवें लाख तैंतीस हजार रूपये) मात्र की निकासी तथा व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार वित्तीय वर्ष 2025–26 में केन्द्र प्रायोजित ''प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना'' (पी०एम०एफ०एम०ई०) अन्तर्गत राज्यादेश पत्रांक–536 दिनांक– 19.03.2026 द्वारा कुल स्वीकृत राशि ₹ 14,99,33,000.00 (चौदह करोड़ निन्यानवें लाख तैंतीस हजार रूपये) में से सामान्य प्रक्षेत्र हेतु सहायक अनुदान–गैर वेतन मद में ₹ 14,98,33,000.00 (चौदह करोड़ अन्ठानवें लाख तैंतीस हजार रूपये) मात्र की निकासी तथा व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. असंगठित खाद्य प्रसंस्करण सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र के योगदान और उनके कार्य निष्पादन में बाधा पहुंचाने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए खाद्य प्रसंस्करण उद्यम मंत्रालय ने एक पैकेज सहायता तथा सेवाओं के माध्यम से पी०एम०एफ०एम०ई० –''प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना'' शुरूआत की है।

3. इस योजना का उद्देश्य निम्नलिखित हैं:–

(i) तकनीकी ज्ञान, कौशल प्रशिक्षण तथा हैंड–होल्डिंग सहायता सेवाओं के माध्यम से उद्यमियों की क्षमता निर्माण।

(ii) प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए मौजूदा/प्रस्तावित सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों को ऋण दिलाना।

(iii) सूक्ष्म उद्यमों को साझा सेवाओं का लाभ लेने हेतु कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ), स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), उत्पादक सहकारिताओं तथा सहकारी समितियों को उनकी सम्पूर्ण मूल्य श्रृंखला में सहायता करना।

(iv) मौजूदा उद्यमों को विभिन्न सरकारी पंजीकरण हेतु औपचारिक फ्रेमवर्क की ओर जाने में सहायता।

(v) ब्रांडिंग और विपणन को मजबूत करके संगठित आपूर्ति श्रृंखला के साथ समीकरण।

4. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र FM-11/5/2020-DS(FME)-Part (1) दिनांक–24.02.2026 द्वारा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना अंतर्गत उपलब्ध कराई गई राशि के आलोक में इस राशि की निकासी की जायेगी।

5. वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या–410 दिनांक–12.06.2025 में निहित प्रावधान के तहत इस राशि की निकासी की जा रही है। इसमें केन्द्र एवं राज्य की राशि का अनुपात 60:40 के अनुरूप है।

Alka [signature]

6 उक्त योजना के संबंध में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा समय--समय पर निर्गत दिशा--निर्देश का पालन किया जायेगा ।

7. योजना अन्तर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश में स्वीकृत राशि का व्यय "Just-in-Time release of Centrally Sponsored Schemes (CSS) funds through SNA SPARSH Model के अनुसार Department of Expenduture (PFMS Division), Minister of Finance, Govt of India के Office Memorandum F No.1(27)/PFMS/2020 दिनांक--13.07.2023 एवं Office Memorandum F NO.1(27)/PFMS/2020 दिनांक-- 07.08.2023 एवं वित्त विभागीय पत्र संख्या--e.gov/PFMS-05/2023-879 दिनांक--24.01.2025 में अंकित प्रावधनों के आलोक में किया जायेगा। उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु विभाग द्वारा खोले गये Drawing Account की विवरणी निम्नवत है:--

Sl.No	Account Number	Name of account
1.	01585501120	BR220-PM FORMALIZATION OF MICRO FOOD PROCESSING ENTERPRISES (PMFME) (3887)

8. मुख्य शीर्ष 2852--उद्योग, उप मुख्य शीर्ष --80 सामान्य, लघु शीर्ष --102 औद्योगिक उत्पादकता उप शीर्ष--0201 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (पी०एम०एफ०एम०ई०) विपत्र कोड-- 23--2852.80.102.0201 विषय शीर्ष 3106 सहायक अनुदान--गैर वेतन मद में उपबंधित राशि से की जायेगी।

9. मंत्रिपरिषद् की दिनांक--13.02.2025 की बैठक में मद संख्या--42 में इस योजना की स्वीकृति प्राप्त है।

10.इस राशि की निकासी के प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-- DFP/PMFME-25/2023 के पृष्ठ--53/टि0 पर दिनांक--25.02.2026 को प्राप्त है।

11. इस राशि की निकासी के प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश पर माननीय मंत्री, उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या-- DFP/PMFME-25/2023 के पृष्ठ--55/टि0 पर दिनांक--16.03.2026 को प्राप्त है।

12. वित्त विभाग परिपत्र संख्या 7355 वि0 (2) दिनांक--05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

ह0/--
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :--सं0 सं0 :- DFP/PMFME-25/2023/........................ पटना, दिनांक :-- ....

प्रतिलिपि:--कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/--
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :--सं0 सं0 :- DFP/PMFME-25/2023/........................ पटना, दिनांक :-- ....

प्रतिलिपि:-- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, पंचशील भवन, अगस्त क्रांति मार्ग, खेलगाँव, नई दिल्ली--49/अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना/मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/--
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– सं० सं० :– DFP/PMFME-25/2023/ 540 पटना, दिनांक :– 19/03/2026.

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना/प्रभारी बजट शाखा, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/अपर सचिव, प्रशाखा–1 (स0), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/03/26

अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।